



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 49/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रमेशचन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भावी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. किशनलाल पुत्र श्री मोहनलाल 2. सुरेश पुत्र श्री मोहनलाल 3. सायरी पत्नी श्री मोहनलाल 4. मृतक मांगीलाल पुत्र श्री भीकाराम के विधिक वारिसान 4/1 उगमादेवी पत्नी श्री मांगीलाल 4/2 सुनिल पुत्र श्री मांगीलाल 4/3 प्रकाश पुत्र श्री मांगीलाल 4/4 राकेश पुत्र श्री मांगीलाल 4/5 जगदीश पुत्र श्री मांगीलाल सभी जातियान ब्राह्मण निवासीगण ग्राम भावी (एस.बी.) हालमुकाम ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 5. गणपतराम पुत्र श्री भीकाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा 7. उप पंजीयक बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 24.05.2017

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम भावी में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने दावा दिनांक 01.12.2014 को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नोटिस पुनः भरकर पेश नहीं किये हैं। प्रार्थी अधिवक्ता को अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नोटिस पुनः भरकर पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये जबकि प्रार्थी अधिवक्ता को 7 दिन के भीतर नये नोटिस भरकर पेश करने चाहिए थे, जो प्रार्थी सम्मन पेश करने में असफल रहा है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के परिप्रेक्ष्य में खारिज किया जाता है पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा